तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर ... अहकाम ... हुक्म ... में जारी
17.06.2025	वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील गैरसायल ने आपत्ति जाहिर की सायलान प्रकरण में लगभग 2 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी उक्त कार्यवाही नहीं कर रहे है, जिसके कारण प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलंब कर उसे लम्बित रखना चाहते है। तलबी हेतु काफी समय व्यतीत हो चुका है तथा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के प्रावधानों के अन्तर्गत खारिज योग्य है। वकील सायलान ने गैरसायल संख्या 16 व 17 के कायम मुकामान की तलबी एवं गैरसायल संख्या 1, 2, 3, 4, व 22 की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस पेश करने हेतु समय चाहा। पत्रावली का अवलोकन किया। उक्त आपत्ति पर वकील उभयपक्ष की बहस का मनन किया। हाजा प्रकरण में दिनांक 03.01.2023 से गैरसायल संख्या 1 लगायत 4 व 22 की तलबी हेतु विचाराधीन है, दिनांक 31.03.2023, को अन्तिम अवसर दिया, उसके बाद दिनांक 17.04.2023, 29.04.2024, 05.07.2024, 20.09.2024, 3.12.2024, 10.12.2024, 17.01.2025, 11.02.2025, 11.03.2025, 15.04.2025, 05.05.2025, 30.05.2025 तारीख पेशियों पर गैरसायल संख्या 1, 2, 3, 4, 22 व कायम मुकामान तलबी हेतु न्यायहित में कई अवसर दिये जा चुके है, लेकिन वकील सायलान ने आज दिनांक तक हाजा प्रकरण में तलबी का स्टेप नही लिया है, उनका यह कृत्य उनकी हाजा प्रकरण को सुचारू रखने में उनकी रूचि नहीं होना दर्शाता है। जबकि प्रकरण की सभी विधिक प्रक्रियाओं की पूर्ति का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं वादी/प्रार्थी का होता है। जो कि हाजा प्रकरण में सायलान नें नहीं की है। इसलिए हाजा प्रकरण आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के प्रावधानों के अन्तर्गत अदम तकमील/नॉट कम्पलॉयन्स में खारिज किया जाता है। दिनांक 01.07.2022 को जारी अन्तरिम अरथाई निषेधाज्ञा निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर संलग्न मूलवाद रहे। उपखण्डाधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर (राज0)	